डॉ. (प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, की अध्यक्षता में दिनांक-09.08.2018 (गुरूवार) को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 49वीं बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति :-

क्र.सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पदनाम	उपस्थिति
1.	डॉ. (प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र	सभापति	उपस्थित
2.	श्री अखिलेश वाजपेयी, उप-सचिव, वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार।	पदेन-सदस्य	उपस्थित
3.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।	पदेन-सदस्य	अनुपस्थित
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण, (पूर्व प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय)	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य	उपस्थित
7.	डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य-सचिव	उपस्थित

2. **कार्यसूची की मद संख्या 01** :- विगत 48वीं बैठक दिनांक-05.07.2018 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

3. **कार्यसूची की मद संख्या 02** :- विगत 48वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गई। तद्नुसार, कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश/अनुदेश के साथ समर्पित कृत अनुपालन की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई-

(क) **अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक 3(क)** - प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि संचालित आश्रमों में आवश्यक बिन्दुओं पर सुधार हेतु विद्यालय कार्यालय पत्रांक-1197, दिनांक-20.07.2018 के द्वारा निर्धारित समय सीमा अंकित करते हुए तत्संबंधी पत्र कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, लातेहार को दिए जा

कृष्ण कुमार नाग
20.8.2018

चुके हैं। प्राचार्य द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को प्रेषित पत्र की प्रति सदस्यों के अवगतार्थ उपस्थापित किया गया। सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि आश्रमों के निर्माण कार्यों के जाँच हेतु एक आंतरिक जाँच समिति का गठन कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक–19.02.2018 की आहूत बैठक में की गई थी।

परन्तु उक्त आंतरिक जाँच समिति में सदस्यों के रूप में जिन सरकारी अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति उपायुक्त द्वारा होनी थी, वह नहीं हो पायी और जिन पूर्ववर्ती छात्र व सेवानिवृत अभियंता को अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें भी समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण जांच के उक्त कार्य अबतक लम्बित हैं। अतएव, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व गठित आन्तरिक जाँच समिति को तत्काल विघटित कर दिया जाय व प्राचार्य द्वारा विद्यालय स्तर से ही एक आंतरिक जाँच समिति गठित की जाय। इसमें प्रत्येक आश्रमवर्ग से एक वरीय आश्रमाध्यक्ष तथा सुविधानुसार वरीय शिक्षकों को भी प्राचार्य स्वेच्छा से सम्मिलित कर लें। जांच में सहयोग हेतु, इन कार्यों के लिए पूर्व में नियुक्त किए गए आर्किटेक्ट रीमांशु हिरानी के फर्म के एक प्रतिनिधि को भी शमिल किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो कि कार्य नक्शे, प्रारूप, प्राक्लन इत्यादि के अनुरूप हुए हैं या नहीं या विचलन हुआ है। इन निर्माण/मरम्मत कार्यों में जो भी विचलन, असंतोषप्रद हुए हो या जिनमें अभी मरम्मत की आवश्यकता हो, इनको निर्धारित करते हुए आंतरिक जांच समिति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्देशन तथा अनुश्रवण करेगी। कार्यों के निष्पादन उपरान्त आन्तरिक जाँच समिति द्वारा ही कार्यों के सफल निष्पादन हेतु अनापत्ति दी जाए। प्राचार्य को यह भी निर्देश दिया गया कि अगर निर्धारित समयसीमा तक निर्देशित कार्य नहीं किए जाते है तो पूर्व निर्णयानुसार कार्यकारिणी समिति इस संबंध में किसी सक्षम, स्वतंत्र जांच एजेन्सी द्वारा जांच कराए जाने सम्बन्धी अग्रेतर कार्रवाई करेगी।

बैठक के उपरांत अपराह्न में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार एवं सहायक अभियंता समिति कार्यालय में उपस्थित हुए, जिस दौरान कार्यकारिणी समिति के सदस्य उपस्थित थे। सहायक अभियंता द्वारा सदस्यों को बताया गया कि आश्रम की छतों में पेड़ के पत्तों के जमाव हो जाने से वर्षा जल का रिसाव होता है; अतएव, विद्यालय स्तर से इसकी लगातार सफाई करायी जानी चाहिए। सहायक अभियंता द्वारा दिए गये मंतव्य के आधार पर सभापति द्वारा कार्यपालक अभियंता को अवगत कराया गया कि जल के रिसाव के साथ–साथ अन्य बहुत सारी समस्याएँ है जैसे–बाथरूम, पैन्ट्री में पानी का जमाव होना, बिजली के केबुल तार के साथ–साथ सप्लाई पानी भी गंदे जल निकास हेतु बने नाली से होकर ही आना, सेफटी टैक की उंचाई शौचालय से भी ऊपर होना, अत्यधिक संकरी नाली का बनाया जाना, छतों से पानी का रिसाव, आदि–आदि। सभापति द्वारा कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता को निर्देश दिए गये कि वे स्वयं

कृष्णा कुमार नाग

20.8.2018

आश्रमों का परिभ्रमण करें एवं कार्यों को विद्यालय के हित में शीघ्रताशीघ्र बेहतर करें। कार्यकारिणी समिति का एक मात्र उद्देश्य कार्यों में गुणवत्ता लाने से है जिसके लिए कार्यकारिणी समिति दृढ़-संकल्पित है। अंततः पुनः कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता को निर्देश दिए गये कि वे सकारात्मक भाव से कार्यों को शीघ्र करवाने में सहयोग करें, अन्यथा उच्च-स्तरीय सक्षम एजेन्सी को कार्यकारिणी समिति के पूर्व निर्णय की कार्यवाई होगी।

(ख) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक 3 (च)-</u> प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 47वीं बैठक के निर्णयानुसार विद्यालय कार्यालय पत्रांक-1430, दिनांक-07.08.2018 के द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह, सह-शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय को बिना नियंत्री पदाधिकारी से पत्र अग्रसारित कराए उच्चाधिकारियों को प्रेषण के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी; तद्नुसार, श्री सिंह का प्रत्युत्तर दिनांक-08.08.2018 के माध्यम से विद्यालय कार्यालय को प्राप्त हुआ। श्री सिंह के प्रत्युत्तर को सभी सदस्यों के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया। सहानुभूतिपर्वूक विचार करते हुए श्री सिंह के प्रत्युत्तर को स्वीकार किया गया। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो एतदर्थ, प्राचार्य श्री सिंह को पत्र माध्यम से संसूचित कर देंगे।

(ग) <u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक 14</u> - प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्षावकाश समाप्ति पश्चात् विद्यालय खुलने के उपरान्त सभी शिक्षकों की उपस्थिति पंजी संधारित करा ली जाएगी।

4. <u>कार्यसूची की मद संख्या 03:-</u> सुश्री शीतल वर्णवाल, भूतपूर्व काउसंलर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में अपनी सेवा समाप्ति के आलोक में कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति को प्रतिवादी बनाते हुए वाद संख्या-W.P(S) 488/2018 दायर किया है। सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि सम्प्रति, विद्यालय/समिति के सभी वाद श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा देखे जा रहें हैं। सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि शीतल वर्णवाल ने दिनांक 24.01.2018 को ही माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था परन्तु समिति को इसकी सूचना व संबंधित दस्तावेज दिनांक 05.07.2018 को, अर्थात् लगभग 5 माह बाद, श्री मुकेश कुमार, जिन्हें Retainer Advocate के रूप में नियुक्त किया गया था, उनके स्तर से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा श्री मुकेश कुमार को विगत माह पूर्व ही शीतल वर्णवाल से संबंधित संचिका की छाया संचिका दी जा चुकी थी ताकि वे एक Counter Affidavit का प्रारूप ससमय तैयार करें। सभापति द्वारा बताया गया कि दिनांक-08.08.2018 को एतदर्थ विषयक ई-मेल भी श्री मुकेश कुमार को उनके स्तर से किए गये थे; परन्तु कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 09.08.2018 तक भी उनका प्रारूप अप्राप्त है। यह भी

20.8.2018

उल्लेख किया गया कि श्री मुकेश कुमार तथा उनकी अनुशंसा पर पूर्व सभापति द्वारा नियुक्त वरीय अधिवक्ता के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को दिनांक 07.08..2018 को पूर्व सभापति श्री नरेन्द्र भगत जी की ओर से एक Important and Urgent e-mail प्रेषित किया गया है जिसमें उन्होंने दिनांक 14.6.2018 को WP(S) No.4614/2016 (Suharsh Kumar vs NVS EC & ors) Jharkhand Hogh Court द्वारा पारित आदेश के विषय में समिति द्वारा पूर्व में नियुक्त अधिवक्ताओं के विषय में टिप्पणी की है कि....."I've perused the order of the Hon'ble Single Judge of Jharkhand High Court. Certain points are quite glaring' like:

1.NVS advocates in this case , seem to have remained in a silent mode in course of hearing of the case...Nowhere does this Order say as to what the Respondents had to say in response to the contention of the petitioner; nor does it mention if they at all made their submission in this case..."

इन घटनाओं से ऐसा परिलक्षित प्रतीत हुआ कि श्री मुकेश कुमार अत्यन्त व्यस्त अधिवक्ता हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री मुकेश कुमार को विद्यालय और समिति की ओर से Retainer Advocate तथा बहस करने के लिए अबतक जो भी वाद के सम्बन्ध में सेवा दी उनको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित कर दिया जाय। और श्री मुकेश कुमार से विद्यालय के सभी वाद के सन्दर्भ में NOC प्राप्त कर लिया जाय। अब से किसी Retainer Advocate की नियुक्ति नहीं की जाय। श्री मुकेश कुमार के सभी नियमानुकूल देय दे दिए जांय और अबतक की सेवा के लिए आभार प्रदर्शन करते हुए कार्यकारिणी समिति के निर्णय सूचित कर दिए जाएं।

कार्यकारिणी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि NOC प्राप्ति के उपरान्त श्री भानू कुमार, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची (Chamber-B-1, Bhaskar Complex Taigor Hill Road, Morabadi, Ranchi-08, Email-bhanujhc@yahoo.com)] जो नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र भी रह चुके हैं, को विद्यालय/समिति की ओर से विद्यालय से सम्बन्धित सभी वादों पर बहस करने के लिए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया। चूंकि वे विद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं, अतः उन्हें विद्यालय की सोच, मूल्य व सिद्धान्त, गतिविधियां, ख्याति व प्रगति के बाधक कारकों की जानकारी प्रारम्भ से ही है। उन्हें कार्यकारिणी समिति की उन बैठकों में, जिनमें विद्यालय के किसी वाद-परिवाद में जाने की संभावना सम्बन्धी किसी विषय/मद में निर्णय लिए जाने की संभावना हो, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाये। ताकि उनकी सलाह विधिस्म्मत निर्णय लिए जानें में मिल सके तथा वे माननीय न्यायालय में किसी भी संभावित वाद के विषय में Caveat दे सकें। इन कार्यो के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्राचार्य को प्राधिकृत किया गया।

20.8.2018

5. <u>कार्यसूची की मद संख्या 04</u>:- प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक-05.07.2018 की आहूत बैठक के निर्णयानुसार श्री सुहर्ष कुमार को विद्यालय कार्यालय पत्रांक-1156, दिनांक-12.07.2018 के द्वारा योगदान संबंधी पत्र निर्गत किए गये थे। निर्गत पत्र के आलोक में श्री कुमार के द्वारा दिनांक-26.07.2018 के माध्यम से पत्र प्रेषित किए गए जो विद्यालय कार्यालय को दिनांक-31.07.2018 को प्राप्त हुआ। श्री सुहर्ष कुमार के प्राप्त पत्र को सभी सदस्यों के अवगतार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री कुमार ने अपने पत्र में कुछेक वैधानिक अदेय राशियों की अधियाचना करते हुए कतिपय व्यक्तिगत व पारिवारिक कारणों से विद्यालय में योगदान करने से अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। बैठक में श्री सुहर्ष कुमार को उनके विषयार्थ बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारिणी समिति की बैठक में आने के लिए अनुरोध किया गया था। श्री कुमार उक्त विचार-विमर्श के क्रम में उपस्थित थे। बैठक में वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री कुमार ने अपने आवेदन में जिन वैधानिक राशियों की मांग की है नियमानुसार कुछेक राशियाँ, अर्थात् बकाये वेतन की राशि, अर्जित अवकाश की राशि इत्यादि ही देय होंगी। कुछेक राशियाँ जैसे PF/EPF/NPS की राशि चूँकि इनमें नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों का ही अंशदान होता है, और श्री कुमार ने अपने सेवाकाल में इन कोषों में अंशदान नहीं किया था और न ही उस समय उनका PRAN संख्या आंवटित हुआ था; अतएव उक्त अभिप्रमाणित राशि देय नहीं होगी। वित्त विभाग के प्रतिनिधि के मंतव्य को सभी सदस्यों ने स्वीकार किया तथा श्री सुहर्ष कुमार ने भी मौखिक औपचारिक सहमति प्रदान की। वित्त विभाग के प्रतिनिधि के मंतव्य एवं श्री कुमार के प्राप्त औपचारिक सहमति के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्राचार्य को प्राधिकृत किया गया। प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि कार्यकारिणी समिति के इस निर्णय के आधार पर श्री सुहर्ष कुमार को पत्र माध्यम से संसूचित कर देंगे।

6. <u>कार्यसूची की मद संख्या 05</u> :- नेतरहाट आवासीय विद्यालय में वाणिज्य संकाय के शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि चूँकि वाणिज्य विषय के शिक्षक पद की स्वीकृति सामान्य निकाय समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्रदान कर दी गई है। अतएव, सर्वप्रथम शिक्षकों के कुल स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त बलों के आधार पर रोस्टर का सत्यापन कर्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार से संयुक्त सचिव के पद से सेवा निवृत पदाधिकारी श्री दिवाकर प्रसाद सिंह से सत्यापित करा लें; तद्नुसार, इस संबंध में पूर्ण प्रस्ताव प्राचार्य आगामी कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की बैठक में रखेंगे ताकि इस पर यथोचित निर्णय लिया जा सके।

दिवा कुमार सिंह
21.8.2018

7. <u>कार्यसूची की मद संख्या 06</u> :- प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री दिवाकर प्रसाद सिंह (से.नि. संयुक्त सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार) के निर्देशित अंशों को समाहित करते हुए तृतीय वर्गीय कर्मियों का रोस्टर विद्यालय स्तर से तैयार कर लिया गया है। रोस्टर का सत्यापन श्री सिंह के स्तर से किया जाना शेष है। श्री दिवाकर प्रसाद सिंह से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में ही इस पर अग्रेतर कार्रवाई करना श्रेष्यकर होगा। इस संबंध में प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि वे यथाशीघ्र श्री दिवाकर प्रसाद सिंह से तैयार किए गये रोस्टर का सत्यापन करा लें तथा एतदर्थ विषय पर अपना पूर्ण मंतव्य अभिलिखित करते हुए संचिका आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करेंगे।

8. <u>कार्यसूची की मद संख्या 07</u> :- प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति पैनल के दूसरे उम्मीदवार डॉ. कमलेश प्रसाद को नियुक्ति पत्र भेजा गया था परन्तु डॉ. प्रसाद ने योगदान करने में अपनी असर्मथता प्रकट की थी; इसपर बैठक में उपस्थित वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि समिति की वर्तमान नियुक्ति, सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली-2011 में वर्णित नियमों के आलोक में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। साथ ही साथ चूँकि चिकित्सा पदाधिकारी का वर्तमान में वेतनमान कम रहने के कारण भी संभवतः चिकित्सा पदाधिकारी योगदान करने में अपनी असर्मथता व्यक्त करते हैं, अतएव, प्राचार्य एक प्रस्ताव तैयार कर जिसमें वर्तमान समस्याओं को अभिलिखित करते हुए चिकित्सा पदाधिकारी के वेतनमान को 15600-39100, ग्रेड पे-5400 (PB III) किए जाने का प्रस्ताव प्रशासी विभाग एवं वित्त विभाग को संप्रेषित कर देंगे। वित्त विभाग के प्रतिनिधि के प्राप्त मंतव्य को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राचार्य को प्राधिकृत किया गया।

9. <u>कार्यसूची की मद संख्या 08</u> :- शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को यह निर्देश हुआ कि सर्वप्रथम सभी वर्गो का रोस्टर तैयार कर उसे श्री दिवाकर प्रसाद सिंह (से.नि. संयुक्त सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार) जिनकी सेवा समिति ने इसी कार्य हेतु लेने का निर्णय ली है; रोस्टर सूची/पंजी सत्यापित करा लें। रोस्टर सत्यापित उपरान्त ही इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

कृष्ण कुमार नाग
20.8.2018

10. <u>कार्यसूची की मद संख्या 09</u> :- प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि महालेखाकार (ले. एवं हक) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा कुछेक सह-शिक्षकों का जुलाई 2018 के निर्गत वेतन पूर्जा में विशेष वेतन (Special Pay) जो मूल वेतन का 20% देय होता है अंकित नहीं किए जाने के कारण तत्काल सभी कर्मियों का विशेष वेतन बन्द कर दिया गया है। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि वित्त विभाग के पत्रांक-1477, दिनांक-19.06.2018 जो सभी विभागीय सचिव, सभी विभागाध्यक्ष एवं कोषागार पदाधिकारी को निर्गत है, के अंतिम पारा में वर्णित है कि *"सावर्तें वेतन के अनुमान्य भत्ते जो विभागीय संकल्प संख्या-737, दिनांक-27.03.2018 से अनाच्छादित है उन भत्तों का भुगतान पूर्व दर पर किया जाता रहेगा जब तक उन्हें लागू करने वाले संकल्प/परिपत्र पुनरीक्षण नहीं होते है।"* प्राचार्य द्वारा अनुरोध किया गया कि चूँकि छठे वेतनमान में विशेष वेतन का उल्लेख वित्त विभागीय ज्ञापांक-7740, दिनांक-10.08.2009 के माध्यम से निर्गत है एवं उक्त संकल्प में अब तक किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है; अतएव, तत्काल उन कर्मियों का जिनका वेतन पुर्जा महालेखाकार द्वारा निर्गत नहीं होता है उन्हे विशेष वेतन भुगतान की स्वीकृति दी जाय। प्राचार्य के इस अनुरोध पर वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि यद्यपि वित्त विभाग के प्रभावी पत्र संख्या-1477, दिनांक-19.06.2018 में शेष भत्तों का भुगतान पूर्व दर पर किया जाना अभिलिखित है तथापि महालेखाकार द्वारा कुछेक सह-शिक्षकों का वेतन पुर्जा निर्गत होने के पश्चात् ही विशेष वेतन भुगतान करना यथोचित होगा। समयक् विचारोपरांत उक्त मंतव्य को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, प्राचार्य को निर्देश हुआ कि महालेखाकार द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा के आधार पर ही अगेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

11. <u>कार्यसूची की मद संख्या 10</u> :- श्री चन्द्रिका पंडित जो फरवरी 2018 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय से लेखापाल के पद से सेवानिवृत हुए थे, को तत्कालीन प्राचार्य की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के प्रभावी ज्ञापांक संख्या-1243/वि., दिनांक-28.04.2016 के आधार पर 06 माह के लिए संविदा पर कार्य पर रखने की स्वीकृति दी गई थी। प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री पंडित की संविदा अवधि अगस्त 2018 को समाप्त हो रही है तथा सम्प्रति लेखाशाखा में इनकी सेवा की आवश्यकता दीख पड़ती है; अतएव पुनः इनकी संविदा अवधि विस्तार की स्वीकृति कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति से अपेक्षित है। समयक् विचारोपरांत प्राचार्य की अनुशंसा के आलोक में श्री चन्द्रिका पंडित की संविदा अवधि आगामी 06 माह के लिए विस्तार की स्वीकृति दी गई।

देखा गया
20.8.2018

12. <u>कार्यसूची की मद संख्या 11</u> :- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय को प्राप्त गैर योजनान्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य, वेतन एवं गैर-वेतन मद की प्रावधानित राशि क्रमशः 1,36,52,500.00 तथा 4,13,54,500.00 की विभागीय पत्रांक-26, दिनांक-03.08.2018 के आलोक में प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्रस्तावित आंतरिक मदवार विभाजन की स्वीकृति दी गई।

13. <u>कार्यसूची की मद संख्या 12</u> :- आगामी विद्यालय दिवस 15 नवंबर 2018 के प्रस्तावित कार्यक्रमों के संदर्भ में प्राचार्य द्वारा गत वर्ष के कार्यक्रमों की सूची उपस्थापित की गई। तद्नुसार, प्राचार्य को निर्देश हुआ कि कार्यक्रमों की सूची गत वर्ष के आधार पर तैयार कर आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करेंगे ताकि इस पर समुचित निर्णय लिया जा सके। विद्यालय दिवस पर बालकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ विद्यालय की पत्रिका हेतु अच्छी, प्रदर्शनीय व पठनीय तैयारियां भी की जांय। साथ ही साथ आगामी विद्यालय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के चयन एवं संबंधित विषय पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए सभापति को प्राधिकृत किया गया।

14. <u>कार्यसूची की मद संख्या 13</u> :- नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2018-19 के संदर्भ में आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 तक निर्धारित थी। प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि विभिन्न स्त्रोंतो से प्राप्त जानकारी के आधार पर अब तक कुल लगभग 1100-1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों की पूर्ण संख्या सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही दिया जाना संभव होगा। इस संबंध में प्राचार्य को निर्देश हुआ कि वे यथाशीघ्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से फार्म विद्यालय मंगवा लें; तद्नुसार, स्पष्ट संख्या से अवगत करायें ताकि प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस निमित्त सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को पत्र प्रेषित किये जा चुके है। संभवतः 14.08.2018 तक सभी जिलों से इस संदर्भ में सूचना प्राप्त हो जाएगी। सभापति द्वारा प्राचार्य को निर्देश हुआ कि वे यथाशीघ्र इस संबंध में स्पष्ट सूचना समिति कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

15. <u>कार्यसूची की मद संख्या 14</u> :- प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यालय के शिक्षक सदन के आंतरिक भाग के रंगरोगन एवं सुसज्जीकरण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार से तत्संबंधी प्राक्कलन तैयार कर उसकी तकनीकी स्वीकृति देने हेतु अनुरोध किया गया था। तद्नुसार, कार्यपालक अभियंता द्वारा

20.8.2018

एतदर्थ कार्यो के प्रसंग में प्राक्कलन तैयार कर कुल रू. 3,66,900.00 (तीन लाख छ्यासठ हजार नौ सौ मात्र) राशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यो के कार्यान्वयन हेतु इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्रदान की गई। तद्नुसार, प्राचार्य को निर्देश हुआ कि विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

16. <u>कार्यसूची की मद संख्या 15</u> :- प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पाँच आश्रम-वर्गो में छात्र रह रहे हैं। संचालित आश्रमवर्गो में से सम्प्रति द्वितीय एवं तृतीय आश्रमवर्ग में बोरिंग की व्यवस्था है; अतएव शेष तीन आश्रमवर्गो में भी डीप बोरिंग कराई जा सकती है। इस संबंध में प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि चूँकि छात्रों को नियमित जलापूर्ति देना आवश्यक है, अतः विद्यालय वाटर टैंकर से तत्काल नियमित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय तथा ग्रीष्मकाल के समय शेष आश्रमों में डीप बोरिंग की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि बोरिंग व्यवस्था सफल हो सके।

17. <u>कार्यसूची की मद संख्या 16</u> :- वित्त विभाग के प्रभावी पत्रांक-737/वि., दिनांक-27.03.2018 में वर्णित नियमों के आलोक में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को भी प्रतिमाह 1000.00(एक हजार मात्र) चिकित्सा भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इसका भुगतान अगस्त 2018 के प्रभाव से मान्य होगा।

18. <u>कार्यसूची की मद संख्या 17</u> :- विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों की अद्यतन डायरेक्टरी बनवाये जाने के विचार-विमर्श के क्रम में प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वे इस संदर्भ में एक प्रारूप तैयार कर सभापति को उपलब्ध करा देंगे। तदोपरांत, सभापति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की सहायता से इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सामान्य निकाय के माननीय सदस्यों : पूर्ववर्ती छात्र कर्नल बजरंग बिहारी सिंह तथा प्रोफेसर डा. नरेन्द्र नाथ पाण्डेय जी से भी इस कार्य में सहायता ली जाय।

18. <u>कार्यसूची की मद संख्या 17 (अनान्य)</u> :-

<u>कार्यसूची की मद संख्या 17(i)</u> :- कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक-05.07.2018 के निर्णयानुसार तदोपरान्त, प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में तत्काल 06 स्मार्ट क्लास व्यवस्थित किए जाने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि वित्त विभाग के प्रभावी नियम के आलोक में इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

20.8.2018

कार्यसूची की मद संख्या 17(ii) :- प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि नेतरहाट विद्यालय परिक्षेत्र में अवस्थित Co-operative Society का भ्रमण कुछेक दिनों पहले उनके द्वारा की गई थी; परिभ्रमण के क्रम में पाया गया कि Co-operative Society में केवल किरासन का तेल रखा हुआ है। सभी कमरों के निरीक्षण के क्रम में Co-operative Society में प्रतिनियुक्त एक व्यक्ति श्री रविशंकर शर्मा द्वारा बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व तक एक कमरा में विद्यालय के सब्जी एवं फल आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इसमें फल एवं सब्जी आदि रखी जाती थी, परन्तु Co-operative Society की कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार उसे खाली करवा दिया गया है। ज्ञातव्य, हो कि Co-operative Society के पदेन अध्यक्ष प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय होते हैं; प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि सम्प्रति Co-operative Society से विद्यालय को किसी प्रकार का लाभ नहीं है और न ही उसमें विद्यालय के उपयोगी सामान रखे जाते है, इसके अलावा प्राचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि Co-operative Society में प्रतिनियुक्त व्यक्ति श्री रविशंकर शर्मा द्वारा अनाधिकृत रूप से विद्यालय का एक आवास अपने कब्जा में रखे हुए हैं। सम्यक् विचरोपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूँकि Co-operative Society जिस भवन पर अवस्थित है वह विद्यालय की परिसम्मति है; अतएव, तत्काल खाली कमरों की चाभी विद्यालय अपने नियत्रांधीन ले लें। इसके अलावा अनाधिकृत रूप से कब्जा किए गये आवास को भी खाली करवाने हेतु अगेतर कार्रवाई प्रारंभ की जाय। संबंधित विषयक कार्य के लिए प्राचार्य को प्राधिकृत किया गया।

कार्यसूची की मद संख्या 17(iii) :- विद्यालय मुख्य गेट के सामने एक गार्ड रूम एवं बड़े गेट के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि सर्वप्रथम प्राक्कलन के आधार पर इसका एक नक्शा तैयार करवा लिया जाय। तद्नुसार, इस पर यथोचित निर्णय कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की आगामी बैठक में ली जाएगी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कृष्ण कुमार नाग
20.8.2018

(कृष्ण कुमार नाग)
सभापति
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।